न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/82/2019

1– भंवरसिंह पुत्र रनवीर जाति ठाकुर निवासी जाटोली घना तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– भगवानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति ठाकुर ।
2– बच्चूसिंह पुत्र हरीसिंह जाति गुर्जर
3– माया पुत्री रनवीर
4– रानी पुत्र रनवीर
5– अमरसिंह
6– महेन्द्रसिंह
7– शिशुपाल
8– सुजानसिह
9– सुभाष
पुत्र गण नारायनसिंह जाति ठाकुर
10–रविन्द्रपाल पुत्र अजयपाल जाति ठाकुर

निवासी जाटोलीघना तहसील व जिला भरतपुर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी भरतपुर श्री संजय गोयल आर0ए0एस0 , दावा नं0 158/2019 एवं प्रा0प0 संख्या 117/2019 उनवानी भगवानसिंह बनाम बच्चू ।

निर्णय **दिनांक 28.10.2020**

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि एक दावा सं0 158/2019 उनवानी भगवानसिंह बनाम बच्चूसिंह मय प्रार्थना पत्र सं0 117/2019 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है,जिसमें प्रार्थी को उपस्थित होने का इंतजार किये बिना ही तहत अदालत द्वारा प्रार्थी व उसकी बहिनों के विरूद्ध दिनांक 17.10.2019 एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई ,जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र आदेश

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

09 नियम 07 का प्रार्थी द्वारा तहत अदालत में पेश किया जा रहा है । अप्रार्थी सं01 अत्यन्त पहुंच वाला व्यक्ति है, जिसने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर श्री संजय गोयल के किसी अत्यधिक नजदीकी व्यक्ति से अपनी पहचान बनाली है जो उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में आता जाता है और वह अपने आपको चिकित्सा मंत्री का अत्यन्त निकट व्यक्ति बताता है,जिससे अप्रार्थी सं01 ने जान पहिचान बैठाकर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही करवाने की पूर्ण तैयारी करली है । प्रार्थी द्वारा उस व्यक्ति को दिनांक 17.10.2019 को ही कई बार उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के कार्यालय में बाहर व अंदन आते जाते स्वयं अपनी आंखों से देखा है ,जिसकी पुष्टि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 17.10.2019 को दी गई धमकी से भी हो गई है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रकरण में - अप्रार्थी सं01 से मिल्लत कर अत्यन्त नजदीक पेशी दी गई है । इस कारण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 158/2019 उनवानी भगवानसिंह बनाम बच्चूसिंह वगै0 मय प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई।

प्रार्थी के अभिभाषक को बहस हेतु कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए । अप्रार्थी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई । योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ने अकारण अप्रार्थी नं02 को परेशान करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 10 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध आराजी को हड़पने की गर्ज से षडयंत्र बनाया हुआ है इसी कारण गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमेबाजी कर रहे हैं । प्रार्थी भंवरसिंह द्वारा पूर्व में अप्रार्थी नं02 के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गतधारा 88–89–188 आर0टी0ए0 भंवरसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश किया था,जो दिनांक 07.08.2015 को खारिज हुआ परन्तु पूर्व दावा में वर्णित आराजी को लेकर पुनः यह दावा प्रस्तुत किया गया हे और दिनांक 22.08.2019 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करा लिया है । उक्त स्थगन आदेश को निरस्त न होने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुंत किया गया है । प्रार्थी द्वारा लगाये

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

गए समस्त आरोप मनगढंत व निराधार होने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे ।

हमने अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 18.10.2019 को दर्ज रजिस्टर हुआ है जिसे लगभग पूरा एक वर्ष होने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं01 व 3 लगायत 10 की न्यायालय द्वारा बार बार अवसर देने के उपरान्त भी तलवी नहीं कराया जाना पाया गया । इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से चिकित्सा मंत्री के किस् व्यक्ति की जानकारी होने से अप्रार्थी के पक्ष में सिफारिस होने की बात अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है,उस व्यक्ति के नाम का कोई उल्लेख नहीं है । प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.08.2019 को स्थगन आदेश लिया हुआ है इस कारण प्रार्थी का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने का प्रतीत होता है । इसी कारण प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में अन्य पक्षकारों की तलवी भी नहीं कराई गई है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मगढंत व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को प्रषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर